UPEW040093962024

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं० 1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।

परिवाद सं० 8579/2024 शिवेन्द्र मिश्रा बनाम कुश त्रिपाठी।

थाना–कोतवाली, जिला–इटावा।

दिनांक 03.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पूर्व में परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के प्रश्न पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा परिवादपत्र में संक्षेप में कथानक है कि प्रार्थी ग्राम बलैयापुर थाना जसवन्तनगर जिला इटावा का निवासी है। प्रार्थी ने कुश त्रिपाठी पुत्र देव नरायन त्रिपाठी, निवासी 267 प्रेम नगर एस०डी० फील्ड थाना कोतवाली शहर व जनपद इटावा के साथ साझेदारी में ई–बाइक (इलैक्ट्रिक स्कूटी) का व्यवसाय किया था जिसका अनुबन्ध पत्र भी तैयार हुआ था तथा जिसमें प्रार्थी की पत्नी स्व० पूजा मिश्रा व विपक्षी कुश त्रिपाठी 50–50 प्रतिशत के साझीदार बने थे असमायिक प्रार्थी की पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गयी थी। प्रार्थी पत्नी की मृत्यु के कारण गहरे मानसिक अवसाद में चला गया था, जिससे चौगुर्जी शहर इटावा स्थित शोरूम कृतिका ई मोटर्स पर आना जाना बन्द कर गया था। इस दौरान जो भी वाहन बिक्री किये गये उनका मुनाफा कुश त्रिपाठी द्वारा ही अर्जित किया गया तथा सितम्बर 2023 में प्रार्थी ने कुश त्रिपाठी से बाइको की बिक्री के सम्बन्ध में हिसाब किताब पूंछा तो वो भडक गये तथा हिसाब किताब देने से मना किया तथा कहा कि हम घाटे में चले गये हैं तुम घाटे की भरपाई करने के लिए ग्यारह लाख रूपये दो जबकि शुरूआत दौर में कुश त्रिपाठी द्वारा ई बाइक की एजेन्सी के लेने के लिए किसी प्रकार की कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी बल्कि प्रार्थी ने अपने ताऊ श्री आदित्य कुमार मिश्रा से जुलाई 2021 में 8,80,000/– रु० उधार लेकर धनराशि एजेन्सी का आरम्भ किया था तथा बाद में कृतिका ई मोटर्स इण्डिया प्रा०लि० के नाम 10,00,000/– स० का लोन जनवरी 2022 में लिया गया था जिसके उपरान्त एजेन्सी कुछ समय तक सुचारू रूप से कार्य करती रही तथा बाद में कुश त्रिपाठी द्वारा घाटा दिखाते हुये व धोखाधडी, जालसाजी, बेईमानी की नियत से सारा रूपया हड़प कर लिया व एजेन्सी में दबंगई करते हुये ताला डाल दिया है। दिनांक 29 सितम्बर 2023 को समय करीब 11:30 बजे सुबह चौगुर्जी स्थित शोरूम पर बातचीत करने का बहाना बनाते हुये धोखे से प्रार्थी को बुलाकर अन्दर बन्द कर दिया और धमकी देते हुये ग्यारह लाख रूपये की चैक संख्या–433927 पर जबरिया हस्ताक्षर करा लिये तथा कुश त्रिपाठी प्रार्थी को मोबाइल नम्बर 8272030770 से प्रार्थी के मोबाइल नम्बर 9997552270 पर कई बार धमकियों दे चुके है तथा प्रार्थी के पिता व ताऊ के फोन पर भी जान से मारने की बराबर धमकी दी जा रही है। प्रार्थी के पास सारी रिकार्डिंग सुरक्षित है। प्रार्थी की जानमाल को खतरा है। प्रार्थी भयभीत है तथा पूरा परिवार परेशान है। उक्त कुश त्रिपाठी काफी दबंग व्यक्ति है जो कि प्रार्थी व उसके परिवारीजन के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है।

परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन करते हुये परिवादी द्वारा बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के बयान में कथन किया गया है कि "ई–बाइक की एजेंसी उसने व विपक्षीगण ने मिलकर जुलाई 2021 में खोली थी। एजेंसी खोलने के संबंध में सारी लिखा–पढ़ी की गयी थी। उसकी पत्नी पूजा मिश्रा इस एजेंसी में डाइरेक्टर थी। उसकी पत्नी पूजा मिश्रा की मृत्यु दिनांक 27.05.2023 को हो गयी थी। विपक्षी और उसकी पत्नी एजेंसी में आधे–आधे हिस्से के साझीदार थे। उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ समय तक एजेंसी पर आना जाना बंद कर दिया और ऐजेंसी का सारा काम विपक्षी देखने लगे। वह मई, 2023 में पैसों का हिसाब किताब करने ऐजेंसी गया तो विपक्षी ने हिसाब किताब देने से मना कर दिया। मई एवं सितंबर 2023 में विपक्षी ने उससे एजेंसी का लोन चुकाने के लिए पैसे मांगे और धमकी दी। विपक्षी का बार–बार धमकाये जाने पर तथा विपक्षी एवं उसके ममेरे भाई के दबाव बनाये जाने के कारण उसने 1,80,000/–रुपये अपने खाते से विपक्षी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिये। ये पैसे उसने अक्टूबर 2023 में ट्रांसेक्सन किये थे। दिनांक 27.09.2023 को विपक्षी ने उसे एजेंसी में बंधक बना रखा था और उससे जबरन 11

Digitally signed by ABHAY KUMAR SINGH
Date: 2024.11.30 10:51:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लाख रुपये की चैक पर हस्ताक्षर करा लिये और उससे 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिये। उसके बाद वह डेढ़–दो महीने के लिए इटावा से चला गया और अक्टूबर–नवम्बर 2023 में उसने पुलिस में सूचना दी थी। जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपक्षी ने उसके ऊपर धारा 138 एन०आई०एक्ट का मुकदमा किया हुआ। जिसमें सुलह समझौता केन्द्र में दिनांक 27.02 2024 की तिथि नियत थी। उसने दिनांक 09.12.2023 को एक प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को दिया परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।"

परिवादी द्वारा समर्थन में साक्षी सी०डब्लू०–1 ठाकुरदास एवं सी०डब्लू०–2 शिवकुमार का परीक्षण अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०संहिता कराया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पारिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि मई एवं सितंबर 2023 में विपक्षी ने उससे एजेंसी का लोन चुकाने के लिए पैसे मांगे और धमकी दी। विपक्षी के बार बार धमकाये जाने पर तथा विपक्षी एवं उसके ममेरे भाई के दबाव बनाये जाने के कारण उसने 1,80,000/– रुपये अपने खाते से विपक्षी के खाते में आनलाइन ट्रांसफर कर दिये। यह पैसे परिवादी ने अक्टूबर 2023 में ट्रांसफर किये थे। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी ने न तो कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया है और न ही साक्षीगण द्वारा बयान अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

आगे बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में परिवादी का कथन है कि दिनांक 27.09.2023 को विपक्षी ने उसे एजेंसी में बंधक बना रखा था और उससे जबरन 11 लाख रुपये की चैक पर हस्ताक्षर करा लिये और उससे 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिये। इसके पश्चात् परिवादी इटावा से चला गया और करीब डेढ़–दो महीने बाद अक्टूबर–नवंबर 2023 में पुलिस में सूचना दी जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। साक्षी CW–1 ठाकुरदास ने बयान अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में परिवादी के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि दिनांक 29.09.2023 को शिवेन्द्र मिश्रा ने कुश त्रिपाठी को शोरूम पर चौगुर्जी में बुलाया और बंद कर दिया और ग्यारह लाख का एक चैक जिसकी सं०–433927 जबरिया हस्ताक्षर करा लिये। साक्षी CW–2 शिवकुमार ने भी परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। परिवादी का यह कथन इसलिये विश्वसनीय नहीं है क्योंकि परिवादी के अनुसार घटना 27.09.2023 की है जिसकी सूचना उसने पुलिस में अक्टूबर–नवम्बर 2023 में दी। जबकि परिवादी ने बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में यह भी कथन किया है कि विपक्षी व उसके ममेरे भाई के दबाव बनाने पर उसने(परिवादी) ने अक्टूबर 2023 में 1,80,000/– रुपये विपक्षी को आनलाइन ट्रांसफर किये। अब प्रश्न उठता है कि जिन व्यक्तियों ने परिवादी को बंधक बनाकर जबरदस्ती 11 लाख रुपये की चैक पर हस्ताक्षर करा लिये हो जिसके पश्चात् परिवादी इटावा से डेढ़–दो महीने के लिये चला गया। उसी व्यक्ति(विपक्षी) को परिवादी द्वारा माह अक्टूबर 2023 में पुनः 1,80,000/–रुपये आनलाइन ट्रांसफर किये जाते हैं। ऐसा कैसे सम्भव है कि जिस व्यक्ति के साथ एक बार बंधक बनाकर जबरन चैक पर हस्ताक्षर कराने की घटना घटित हो गयी, वह व्यक्ति पुनः उसी विपक्षी को आनलाइन रुपये ट्रांसफर करे। परिवादी द्वारा पुलिस में सूचना अक्टूबर–नवम्बर 2023 में दिये जाने का कथन किया है, परन्तु परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने पुलिस में सूचना आनलाइन रुपये ट्रांसफर करने के पहले दी थी या बाद में। पुलिस में सूचना दिये जाने के संबन्ध में परिवादी द्वारा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त साक्षीगण सी०डब्लू०–1 व 2 का बयान अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०संहिता इस सम्बन्ध में इसलिये प्रासंगिक नहीं है क्योंकि परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०संहिता में कहीं भी कथन नहीं किया है कि घटना के समय साक्षीगण सी०डब्लू०–1 व 2 में से कोई भी उसके साथ था। यहां पर गौर करने योग्य यह भी तथ्य है कि जिस चैक की संख्या परिवादी को नहीं पता और जिस पर परिवादी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये गये उस चैक की संख्या साक्षी सी०डब्लू०–1 को ज्ञात है जो घटना के समय मौजूद भी नहीं था।

इसके अतिरिक्त परिवादी के अनुसार उसे विपक्षी ने ऐजेंसी में बुलाकर बंधक बना रखा था और जबरन चैक पर हस्ताक्षर कराये। इसका अर्थ है कि परिवादी चैक बुक भी साथ ले गया था। यानि उसे पता था कि चैक की आवश्यकता होगी या हो सकती है नहीं तो जिस व्यक्ति के साथ व्यापारिक मतभेद चल रहा हो जैसा कि परिवादी ने कथन किया है उसके पास चैक बुक साथ में ले जाने का क्या औचित्य है। यह भी संदेहास्पद है कि घटना होने के पश्चात् परिवादी द्वारा डेढ़–दो महीने बाद पुलिस में सूचना दी गयी। आमतौर पर ऐसी घटना की सूचना अविलंब दी जाती है। परन्तु परिवादी द्वारा इतना विलंब क्यों किया गया यह स्पष्ट नहीं है।

परिवादी ने बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि विपक्षी ने उसने विरुद्ध 138NI Act का मुकदमा किया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि परिवादी द्वारा यह वाद पेशबंदी में प्रस्तुत किया गया हो। अतः उपरोक्त आधारों पर विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

–<u>आदेश</u>–

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–03.12.2024

(अभय कुमार सिंह)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट सं० 1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।